

नम्बर
अ
इ
ता

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुआ

तारीख हुकम

प्रार्थना पत्र संख्या 46 / 2024 G.C MS 2024/86
अन्तर्गत धारा 136

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवानी बहादुर मल यादव बनाम राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार खेतड़ी

11/06/2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित भाग।
तहसीलदार खेतड़ी से उनके पत्राक भू030/2024/1045 दिनांक
23/05/2024 से जाच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की
गई। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी
गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार
खेतड़ी की जाच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा
अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के
अवलोकन से पाया कि प्रार्थी के नाम की त्रुटि न तो भू प्रबन्ध
विभाग की है तथा न ही कोई लिपिकीय त्रुटि है। प्रार्थी का
वर्तमान नाम जमाबन्दी में सेटलमेंट के बाद विरासत नामान्तरकरण
संख्या 195 से दर्ज हुआ है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का हरतगत प्रार्थना पत्र
धारा 136 के अन्तर्गत बनना नहीं पाया जाता है। लिहाजा

—: आदेश :-

अतः प्रार्थी का हरतगत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट
1956 के तहत पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया
जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता
दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/06/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया
गया।



(सविता शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी